



बिहार सरकार
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना-800 014

संख्या- FC/188/2020- 218

प्रेषक,

नन्द कुमार मांझी,
उप वन संरक्षक।

सेवा में,

श्री संजय राम,
पिता-श्री अर्जुन राम,
ग्राम+पोस्ट+थाना-हलसी,
जिला-लखीसराय, पिन-811311

पटना 14, दिनांक- 03/04/2024

विषय- श्री संजय राम द्वारा लखीसराय जिलान्तर्गत हलसी मौजा के खाता संख्या-331, प्लॉट संख्या-1830, अंचल-हलसी में लखीसराय-सिकन्दरा पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.024 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Approach/100781/2020/4812, दिनांक 10.08.2021 एवं इस कार्यालय के पत्रांक 771, दिनांक 25.08.2021, पत्रांक 07, दिनांक 03.01.2022 एवं पत्रांक 362, दिनांक 28.04.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Approach/100781/2020/4812, दिनांक 10.08.2021 द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर दो भागों में (A एवं B) सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। भाग-A में 1-7 शर्तें तथा भाग-B में 1-9 शर्तें अधिरोपित है। तदालोक में इस कार्यालय के प्रसंगाधीन पत्रों द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण एवं NPV मद में राशि जमा करने तथा सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का अनुरोध किया गया है, जो अभी तक अप्राप्त है। प्रसंगाधीन पत्र द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण की राशि का आकलन रु. 318 प्रति मा.दि. के आधार पर किया गया था। वर्तमान में श्रम संसाधन विभाग द्वारा मजदूरी दर में वृद्धि करते हुए रु. 410 प्रति मा.दि. किया गया है।

2. सैद्धांतिक स्वीकृति के भाग संख्या-A के कंडिका संख्या-1 के आलोक में हरितावरण को बनाये रखने के लिए क्षतिपूरक वनरोपण मद में 100 पौधों के रोपण का दस वर्षीय प्राक्कलन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या-03, दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं अद्यतन मजदूरी दर (रु. 410/प्रति मा.दि.) के आधार पर रु. 8,94,632/- (आठ लाख चौरानवे हजार छः सौ बत्तीस रुपये) मात्र की राशि को प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार को उपलब्ध कराएगी।

उक्त राशि का आकलन वर्तमान मजदूरी दर रु. 410 प्रति मानव दिवस पर किया गया है। श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर मजदूरी दर में किये जाने वाले वृद्धि के फलस्वरूप क्षतिपूरक वनरोपण मद की राशि संभावित वृद्धि के साथ भुगतये होगा।

3. सैद्धांतिक स्वीकृति के भाग-A के कंडिका संख्या-2 के आलोक में अपयोजित होने वाली वन भूमि कुल- 0.024 हेक्टेयर के लिए NPV की राशि रु. 9,57,780/- प्रति हेक्टेयर की दर से कुल रु० 22,987/- (बाईस हजार नौ सौ सतासी रुपये मात्र) को प्रयोक्ता एजेन्सी विभाग को उपलब्ध कराएगी।

4. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपर्युक्त कंडिका 2 एवं 3 की राशि रु. 8,94,632.00 (+) रु. 22,987.00 अर्थात् कुल रु. 9,17,619.00 (नौ लाख सतरह हजार छः सौ उन्नीस रुपये) मात्र को विभागीय वेबसाईट parivesh.nic.in से सर्वप्रथम e-challan Generate करने के उपरांत Download किया जायेगा तथा संबंधित बैंक खाता में राशि हस्तान्तरित किया जायेगा।

5. राशि हस्तान्तरित करने के उपरांत प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस कार्यालय को UTR No. एवं दिनांक के साथ मूलप्रति उपलब्ध करायी जायेगी।

उपर्युक्त के अतिरिक्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के प्रसंगाधीन पत्र के भाग-A में सन्निहित 1-7 शर्तें तथा भाग-B में सन्निहित 1-9 शर्तों का पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को समर्पित करेंगे, ताकि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राँची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से विषयाधीन मामले पर अन्तिम स्वीकृति (Stage- II Clearance) प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन,

(नन्द कुमार मांझी)

उप वन संरक्षक।

ज्ञापांक FC- 218

दिनांक 03/04/2024

प्रतिलिपि : वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर वन प्रमंडल, मुंगेर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि हरितावरण को बनाये रखने के लिए क्षतिपूरक वनरोपण मद में 100 पौधों के रोपण का दस वर्षीय प्राक्कलन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या-03, दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं अद्यतन मजदूरी दर (रु. 410/प्रति मा.दि.) के आधार पर प्रयोक्ता एजेन्सी एवं इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

(नन्द कुमार मांझी)

उप वन संरक्षक।

ज्ञापांक FC- 218

दिनांक 03/04/2024

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, वन्यप्राणी अंचल, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नन्द कुमार मांझी)

उप वन संरक्षक।